(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2021-एकीकृत कर

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2021

सा.का.नि. ..... (अ) एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि सेवाओं की आपूर्ति पर दोहरे कराधान से बचने के लिए या कराधान न लगाने के लिए या नियमों के अनुपालन में एकरूपता लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, और जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर, दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खण्ड 3, उप खण्ड, (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी क में, क्रम संख्या 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(1)	(2)	(3)
“3	जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबन्धित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग सेवाओं की ऐसे व्यक्ति को आपूर्ति जो आगे के कारोबार में इसका उपयोग करे ।	सेवा की आपूर्ति का स्थान वह होगा जहाँ सेवा को प्राप्त करने वाला अवस्थित होगा ।“

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/53/2021]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2019- एकीकृत कर, दिनांक 30 सितंबर, 2019 को सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2020- एकीकृत कर, दिनांक 26 मार्च, 2020, जिसे सा.का.नि. 224 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।